



2026:AHC:41529

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6402/2026

मुन्ना

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजीव, सुरेश चन्द्र

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अचल सिंह, मुख्य अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4/सचिव, भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम तम्बानी लोधवारा, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा जारी नोटिस दिनांक 18.09.2025 को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उपरोक्त नोटिस के द्वारा, याचिकाकर्ता को विवादित भूखंड पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया गया था। तर्क

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिया गया है कि उपरोक्त आदेश उपरोक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता उत्तर प्रस्तुत करेगा, तो प्रतिवादी संख्या 4 मामले में उचित आदेश पारित करेगा।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 4/सचिव, भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम तम्बानी लोधवारा, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट के समक्ष उपरोक्त नोटिस का उत्तर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात चार सप्ताह के भीतर मामले में नया आदेश पारित करेगा।

6. तीन माह की अवधि के लिए या मामले में निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, नोटिस दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”